

यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 300/2022
वादी

दायर दिनांक 21.07.2022
प्रतिवादीगण

1. चुनाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी बांडोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

1. बुधाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बांडोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 25.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 71 रकबा 2.7500 हैक्टे0 वाकै सरहद बान्डोलाई की ढाणी तथा खसरा सं0 292 रकबा 3.9800 हैक्टे0, खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टे0 जिसमें बुधरराम का हिस्सा 65/157 भाग, खसरा सं0 198 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 199 रकबा 5.2400 हैक्टे0 वाकै सरहद गोदरास, पटवार हल्का कोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरा सं0 की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है जो निम्न प्रकार है :-

1. चुनाराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं0 71 रकबा 2.7500 हैक्टे0 सम्पूर्णभूमि। एवं खसरा सं0 198 व 199 कुल रकबा 5.2400 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी बुधरराम के हक हिस्से की 1/2 भाग की सम्पूर्ण भूमि।
2. बुधरराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं0 292 रकबा 3.9800 हैक्टे0 की सम्पूर्ण भूमि (ग्राम पंचायत खुनखुना का 161/39800 हिस्सा छोड़ते हुए) खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टे0 भूमि में से वादी चुनाराम के हक हिस्से की 65/157 भाग की सम्पूर्ण भूमि।

यह है कि मौखिक बंटवारे के अनुसार वादी अपने सम्भावित हक हिस्से व कब्जा काशत की भूमि पर शुरू से लेकर आज तक निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा बिना किसी रोक टोक के अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार चुनाराम के हक में खसरा सं0 71 रकबा 2.7500 हैक्टे0 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं0 198 व 199 कुल रकबा 5.2400 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी बुधरराम के हक हिस्से की 1/2 भाग की सम्पूर्ण भूमि तथा प्रतिवादी सं0 01 के हक में खसरा सं0 292 रकबा 3.9800 हैक्टे0 की सम्पूर्ण भूमि (ग्राम पंचायत खुनखुना का 161/39800 हिस्सा छोड़ते हुए), खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टे0 भूमि में से वादी चुनाराम के हक हिस्से की 65/157 भाग की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी उनके नाम घोषित की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का सादर आदेश फरमावें।



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजीनामा पेश हुआ। जिसे सामिल मिशाल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।


अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :-


अतः हस्य दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 71 रकबा 2.7500 हैक्टे० वाकै सरहद बान्डोलाई की ढाणी तथा खसरा सं० 292 रकबा 3.9800 हैक्टे०, खसरा सं० 223 रकबा 5.0800 हैक्टे० जिसमें बुधरराम का हिस्सा 65/157 भाग, खसरा सं० 198 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 199 रकबा 5.2400 हैक्टे० वाकै सरहद गोदरास की भूमियों में वादी व प्रतिवादी सं० 01 को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है।

1. चूनाराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं० 71 रकबा 2.7500 हैक्टे० सम्पूर्ण भूमि। एवं खसरा सं० 198 व 199 कुल रकबा 5.2400 हैक्टे० भूमि में से प्रतिवादी बुधरराम के हक हिस्से की 1/2 भाग की सम्पूर्ण भूमि।
2. बुधरराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं० 292 रकबा 3.9800 हैक्टे० की सम्पूर्ण भूमि (ग्राम पंचायत खुनखुना का 161/39800 हिस्सा छोड़ते हुए) खसरा सं० 223 रकबा 5.0800 हैक्टे० भूमि में से वादी चुनाराम के हक हिस्से की 65/157 भाग की सम्पूर्ण भूमि।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री व मुकदमा में इलादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 300/2022

दायर दिनांक 21.07.2022

वादीगण

प्रतिवादी

1. चुनाराम पुत्र परसाराम जाति जाट
निवासी बांडोलाई की ढाणी, तहसील
डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

1. बुधराम पुत्र सुरजाराम
जाति जाट निवासी
बांडोलाई की ढाणी,
तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0।
2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 25.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर
हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 71 रकबा 2.
7500 हैक्टे0 वाकै सरहद बान्डोलाई की ढाणी तथा खसरा सं0 292 रकबा 3.9800
हैक्टे0, खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टे0 जिसमें बुधराम का हिस्सा 65/157 भाग,
खसरा सं0 198 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 199 रकबा 5.2400 हैक्टे0 वाकै
सरहद गोदरास की भूमियों में वादी व प्रतिवादी सं0 01 को राजीनामा अनुसार निम्न
प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है।

1. चुनाराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं0 71 रकबा 2.7500
हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि। एवं खसरा सं0 198 व 199 कुल रकबा 5.2400 हैक्टे0 भूमि
में से प्रतिवादी बुधराम के हक हिस्से की 1/2 भाग की सम्पूर्ण भूमि।
2. बुधराम के बंट व हक हिस्से में आई भूमि :- खसरा सं0 292 रकबा 3.9800
हैक्टे0 की सम्पूर्ण भूमि (ग्राम पंचायत खुनखुना का 161/39800 हिस्सा छोड़ते
हुए) खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टे0 भूमि में से वादी चुनाराम के हक
हिस्से की 65/157 भाग की सम्पूर्ण भूमि।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय
व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमा में के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.07.2022 को सरे इजलास
में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिशनर		
फिस कमिशनर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)